दीवानी वाद संख्या 104/2014
इस्लाम मोहम्मद बनाम गुलाम नबी
दिनांक 09-10-2025

वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी ने एक आवेदन धारा 151 सी.पी.सी. का इस आशय का प्रस्तुत किया था कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना मे कलेक्टर मुद्रांक, अजमेर द्वारा दिनांक 4-3-2025 को आदेश पारित कर 8,41,732/-रूपये की राशि अधिरोपित की गयी थी जो आदेश अवैध व अनुचित होने से उसके विरूद्ध टैक्स बोर्ड मे अपील की गयी है, जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है, उक्त अपील के निस्तारण तक इस प्रकरण की कार्यवाही स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह प्रकरण लक्षित प्रकरणो मे रहा है, पूर्व मे भी एक आवेदन अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी.का पेश किया गया था जिसमे कलेक्टर मुद्रांक अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 04-3-2025 के द्वारा 8,41,725/रूपये की राशि अधिरोपित करना बताते हुए उसकी अपील टैक्स बोर्ड मे करना व उसमे स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु प्रकरण की कार्यवही स्थगित किये जोन का निवेदन किया गया था, उक्त आवेदन दिनांक 8-4-2025 को प्रकरण लक्षित होने एवं वाद लगभग 11 वर्षो से लंबित होने से अस्वीकार कर खारिज किया गया था। दिनांक 11-7-2024 को एक वर्ष तीन माह पहले इकरारनामा इम्पाउण्ड करने के लिए कलेक्टर मुद्रांक को भेजा गया था। वादी द्वारा कलेक्टर मुद्रांक द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं की गयी है अपितु टैक्स बोर्ड मे अपील पेश कर दी गयी है। उसके निस्तारण होने तक वाद की कार्यवाही स्थगित किये जाने से न्याय का उददेश्य विफल हो जायेगा क्योकि धारा 35 व 37 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम पर जो आदेश दिनांक 11-7-24 को पारित किया गया वह प्रतिवादीगण के आवेदन पर दिया गया था। वादी को आरम्भ से ही इकरारनामा 100 रूपये के स्टाम्प पर होने की जानकारी रही थी, लेकिन उनके द्वारा वाद वर्ष 2014 मे प्रस्तुत किये जाने के पश्चात उसे सम्यक रूप से स्टाम्पित करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसलिए जो विलम्ब कारित हुआ है वह वादी पक्ष की उपेक्षा के कारण ही हुआ हैं। न्यायालय का समय सदभाविक पक्षकारो के लिए होता हैं। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए यह आवेदन, जिससे 5 माह का विलम्ब कारित हुआ है, दो हजार रूपये की कोस्ट पर खारिज किया जाता है। कोस्ट राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर मे जमा करवाकर रसीद

09.10.25
विकास सिंह चौधरी
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या-2, अजमेर

आगामी पेशी पर प्रस्तुत करे। कोस्ट की अदायगी वादी पक्ष की वाद की कार्यवाही मे आगे भाग लेने की पूर्ववर्ती शर्त होगी।

आदेश सुनाया गया । वादी अधिवक्ता के निवेदन पर आगामी तारीख पेशी 29–10–2025 नियत की जाती है। साक्ष्य वादी हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 29–10–2025 को पेश हों।

09.10.25

विकास सिंह चौधरी
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या – 2, अजमेर